

①

राजस्थान सरकार

प्रशासन गांवों के सन अभियान-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व चिलेश्वर  
 भू अभिलेख निरीक्षक गौररत्न की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा  
 व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 791, 792, 433,  
 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल <sup>790/98</sup> दरामद  
 के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	चिलेश्वर	791 792 433 790 98	भाग्य लाल पुत्र नैनु कुमावर	भाग्य लाल पिता नैनु कुमावर

868

उपखण्ड अधिकारी  
 प्रभारी अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 दिनांक :-

क्रमांक/न्यायालय/2021/04

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री भाग्य लाल पिता नैनु कुमावर नि० चिलेश्वर

उपखण्ड अधिकारी  
 प्रभारी अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 दिनांक :-